

## वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रबन्धक

कालिन्दी सिंह  
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।



पत्रांक पू.वि. / सम्बद्धता / 03-(एक) / 2015 / 2215  
दिनांक : 20.09.2015

सेवा में,

प्रबन्धक,  
कालिन्दी सिंह महाविद्यालय, इशोपुर माहपुर,  
गाजीपुर।

विषय महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1103 (1)/सत्तर-6-2014-2(97)/2014, दिनांक-01 अगस्त, 2014, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पद्योंकों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्यहता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपरान्त को समाप्त कर दिया है, के क्रम में दिनांक-25 अगस्त, 2015 को सम्पन्न विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में कालिन्दी सिंह महाविद्यालय, इशोपुर माहपुर, गाजीपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, भूगोल, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र प्रा० इतिहास, अर्थशास्त्र विषयों में स्वयंसेवक योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत दिनांक-01.07.2015 से आगामी तीन वर्षों हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

1. महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन एवं प्राचार्य तथा प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र, संविद पत्र, नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक-02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
3. शासनादेश संख्या-5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी. दिनांक-16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या-5125/70-2-2005-2(166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. महाविद्यालय/संस्था द्वारा उपरोक्त इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण तीन माह के अन्दर करते हुए विश्वविद्यालय को सफ्य-पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा समस्त कमियों को पूरा कर लिया गया है। तत्पश्चात ही विश्वविद्यालय की परिणियमावली के परिदियन 10:10 के अन्तर्गत कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी, संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष तबित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या-61859/2012 में परित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक-30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि जाँच किये जाने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को विश्वविद्यालय द्वारा जाँच हेतु प्रेषित पत्र पर प्राप्त जाँच आख्या के अधीन होंगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
8. शासन के पत्र संख्या-12/2015/450/सत्तर-2015-16 (33)/2015, दिनांक-12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्राप्त धनराशि, समस्त प्रमाण-पत्र अनिश्चयन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन एवं Aisne प्रोजेक्टिंग के अधीन होंगी।

नयदीय

प्रबन्धक

कालिन्दी सिंह महाविद्यालय  
इशोपुर माहपुर-गाजीपुर

प्रतिपत्ति- निम्नलिखित को सूचना प्रकृत।

सचिव, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, लखनऊ।

प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, लखनऊ।